

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4 (ई)/अलेसे-III/निप लिंक न. 13229/407

दिनांक:- 22/06/2021

कार्यालय आदेश

श्री भूपत सिंह (लिंक न. 13229), कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), बाड़मेर-(1000138) को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 18.07.2018 से 18.07.2018 तक 1 दिवस (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 1 दिवस

उक्त कुल 1 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री भूपत सिंह की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही) से अनिवार्य रूप से अंकित करावें।
उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित हैं।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4 (ई)/अलेसे-III/निप लिंक न. 13229/407

दिनांक:- 22/06/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), बाड़मेर।
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिव (बाड़मेर) (आपके पत्रांक 131 दिनांक 16.04.2021 के क्रम में)
3. कोषाधिकारी, बाड़मेर।
4. श्री भूपत सिंह (लिंक न. 13229), कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सचिव, नगर विकास न्यास (एक्स काडर), बाड़मेर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(लेखराम मीणा)

उपनिदेशक कार्मिक-III